



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020 (CHAITRA 12, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक प्रथम अप्रैल, 2020

संख्या 27/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 31 तथा 32/2020.- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 31 तथा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये आदेश पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 2020, कहे जा सकते हैं।
(2) ये प्रथम अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।
- पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त आदेश कहा गया है) में, आदेश 1 में,- विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

क्रम संख्या	मदिरा या स्पिरिट के प्रकार	शुल्क दर
1	2	3
1	देशी मदिरा (50 डिग्री प्रूफ)	₹60.00 प्रति प्रूफ लीटर
2	मेट्रो मदिरा (65 डिग्री प्रूफ)	₹66.00 प्रति प्रूफ लीटर
3	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹901 से ₹1000 प्रति पेटी तक	₹80.00 प्रति प्रूफ लीटर
4	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹1001 से ₹1500 प्रति पेटी तक	₹110.00 प्रति प्रूफ लीटर
5	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹1501 से ₹2500 प्रति पेटी तक	₹120.00 प्रति प्रूफ लीटर

6	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹2501 से ₹3500 प्रति पेटी तक	₹130.00 प्रति प्रूफ लीटर
7	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹ 3501 से ₹5000 प्रति पेटी तक	₹160.00 प्रति प्रूफ लीटर
8	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹5001 से ₹7000 प्रति पेटी तक	₹200.00 प्रति प्रूफ लीटर
9	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ₹7000 से उपर प्रति पेटी	₹250.00 प्रति प्रूफ लीटर
10	देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटोबल रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	₹20.00 प्रति प्रूफ लीटर
11	साईडर	₹5.00 350 मिली लीटर की प्रत्येक बोतल पर।

3. उक्त आदेशों में, टिप्पण में, पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(iv) सुरक्षा कार्मिकों को आपूर्ति के लिए निम्नलिखित आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जायेगा जब कैंन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट या पैरा सैनिक बलों के माध्यम से टरुप्स के लिए जारी की जाए:-

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	आबकारी शुल्क ₹ में
1	2	3
1	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट	410.00 प्रति प्रूफ लीटर
2	रम	99.00 प्रति प्रूफ लीटर
3	बीयर	85.00 प्रति बल्क लीटर
4	ड्रॉट बीयर	85.00 प्रति बल्क लीटर
5	साईडर	09.50 प्रति बल्क लीटर
6	वाईन	20.00 प्रति बल्क लीटर
7	पीने के लिए तैयार पेय	22.00 प्रति बल्क लीटर
8	भारतीय विदेशी मदिरा (बोटल इन ऑरिजन)	शून्य।

4. उक्त आदेशों में, आदेश 1-क में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“सारणी

क्रम संख्या	मदिरा या स्पिरिट की किस्म	शुल्क की दर
1	2	3
1	देसी मदिरा	₹ 1.00 प्रति प्रूफ लीटर
2	बीयर	₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर
3	पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल	₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर
4	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट/ भारत में निर्मित विदेशी मदिरा	₹ 2.00 प्रति प्रूफ लीटर
5	पीने के लिए तैयार पेय	₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर
6	ड्राट बीयर	₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर
7	परिशुद्ध अल्कोहल	₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर
8	डेनचर्ड स्पिरिट	शून्य
9	ऑटोमोबाइल इंधन के लिए इथानॉल/डेनचर्ड स्पिरिट	शून्य।

5. उक्त आदेशों में, आदेश 1-ड. में, विद्यमान सारणी में, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“5. देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटोबल रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ₹ 11.00 प्रति बल्क लीटर।”

6. उक्त आदेशों में, आदेश 2 में, खण्ड (क) तथा (ख) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(क) वाईन ₹ 15.00 प्रति बल्क लीटर।”।

7. उक्त आदेशों में, आदेश 5 में, विद्यमान खण्डों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(i) सुपर माइल्ड बीयर जिसमें 3.5 प्रतिशत तक अल्कोहल की मात्रा हो ₹ 35.00 प्रति बल्क लीटर

(ii) माइल्ड बीयर जिसमें 3.5 प्रतिशत से उपर तथा 5.5 प्रतिशत तक अल्कोहल की मात्रा हो ₹ 40.00 प्रति बल्क लीटर

(iii) स्ट्रान्ग बीयर जिसमें 5.5 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो ₹ 45.00 प्रति बल्क लीटर

(iv) डिब्बाबन्द बीयर:

(क) सुपर माइल्ड ₹ 45.00 प्रति बल्क लीटर

(ख) माइल्ड ₹ 50.00 प्रति बल्क लीटर

(ग) स्ट्रान्ग ₹ 55.00 प्रति बल्क लीटर

(v) देशी शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर ₹ 30.00 प्रति प्रूफ लीटर

(vi) भारत में बनी विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर ₹ 60.00 प्रति प्रूफ लीटर

(vii) ड्रॉट बीयर ₹ 45.00 प्रति बल्क लीटर

(viii) बीयर की खुदरा बिक्री पर आबकारी शुल्क की दर राज्य में पब माइक्रो ब्रुअरी प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित बीयर पर प्रति बल्क लीटर ₹40 होगी।”।

8. उक्त आदेशों में, आदेश 5क में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i) पीने के लिए पेय ₹25.00 प्रति बल्क लीटर।”।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 1st April, 2020

No. 27/X-I/P.A./1914/Ss.31 and 32/2020.— In exercise of the powers conferred by Sections 31 and 32 of the Punjab xcise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following orders further to amend the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932, in their application to the State of Haryana, namely :-

1. (1) These orders may be called the Punjab Excise Fiscal (Haryana Amendment) Orders, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2020.

2. In the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932 (hereinafter called the said orders), in order 1, for the existing table, the following table and entries thereagainst shall be substituted namely,-

“Table

Sr. No.	Kind of liquor or spirit	Rate of duty
“1.	Country Liquor (50 degree proof)	₹ 60.00 per proof litre
2.	Metro Liquor (65 degree proof)	₹ 66.00 per proof litre
3.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹901 to ₹1000 per case	₹ 80.00 per proof litre

4.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹1001 upto ₹1500 per case	₹ 110.00 per proof litre
5.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹1501 upto ₹2500 per case	₹ 120.00 per proof litre
6.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹2501 upto ₹3500 per case	₹ 130.00 per proof litre
7.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹3501 upto ₹5000 per case	₹ 160.00 per proof litre
8.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹5001 upto ₹7000 per case	₹ 200.00 per proof litre
9.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price above ₹7000 per case	₹ 250.00 per proof litre
10.	Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor	₹ 20.00 per proof litre
11.	Cider	₹5.00 per bottle of 350 mili litre.”.

3. In the said orders, in the note, for para (iv), the following para shall be substituted, namely:-

(iv) The following excise duty shall be levied for supply to defence personnel when issued to troops through Canteen Stores Department or Para Military Forces:-

Sr. No.	Kind of liquor	Excise Duty in ₹
1	2	3
“1.	Indian Made Foreign Spirit	410.00 per proof litre
2.	Rum	99.00 per proof litre
3.	Beer	85.00 per bulk litre
4.	Draught Beer	85.00 per bulk litre
5.	Cider	9.50 per bulk litre
6.	Wine	20.00 per bulk litre
7.	Ready to Drink Beverages	22.00 per bulk litre
8.	Indian Foreign Liquor (Bottle in Origin)	Nil.”.

4. In the said orders, in order 1-A, for the existing table, the following table shall be substituted, namely :-

“Table

Sr. No.	Kind of liquor or spirit	Rate of duty
“1	2	3
1.	Country Liquor	₹ 1.00 per proof litre
2.	Beer	₹ 2.00 per bulk litre
3.	Potable Rectified Spirit/ Extra Neutral Alcohol	₹ 2.00 per bulk litre
4.	Indian Made Foreign Spirit/ Indian Made Foreign Liquor	₹ 2.00 per proof litre
5.	Ready to Drink Beverages	₹ 2.00 per bulk litre
6.	Draught Beer	₹ 2.00 per bulk litre
7.	Absolute Alcohol	₹ 1.50 per bulk litre
8.	Denatured Spirit	Nil
9.	Ethanol/Denatured spirit for Automobile fuel	Nil.”.

5. In the said orders, in order 1-E, in the existing table, for serial number 5 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“5 Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor ₹ 11.00 per bulk litre and Indian Made Foreign Liquor

6. In the said orders, in order 2, for clauses (a) and (b) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) Wine ₹ 15.00 per bulk litre.”.

7. In the said orders, in order 5, for the existing clauses and entries thereagainst, the following clauses and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i)	Super Mild Beer containing alcoholic content upto 3.5%	₹ 35.00 per bulk litre
(ii)	Mild Beer containing alcoholic content above 3.5% and up to 5.5%	₹ 40.00 per bulk litre
(iii)	Strong Beer containing alcoholic content more than 5.5%	₹ 45.00 per bulk litre
(iv)	Canned Beer:	
	a. Super Mild	₹ 45.00 per bulk litre
	b. Mild	₹ 50.00 per bulk litre
	c. Strong	₹ 55.00 per bulk litre
(v)	The rate of additional excise duty on country liquor	₹ 30.00 per proof litre
(vi)	The rate of additional excise duty on Indian Made foreign Liquor	₹ 60.00 per proof litre
(vii)	Draught Beer	₹ 45.00 per bulk litre
(viii)	The rate of excise duty on retail sale of beer shall be ₹40.00 per bulk litre on the beer manufactured by pub Micro Brewery Project in the State.”.	

8. In the said orders, in order 5A, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) Ready to drink beverages ₹ 25.00 per bulk litre.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.